बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संचिका सं0–मं0मं0–01/आर–64/2005....141........दिनांक....25/1/06

अधिसूचना

भारत–संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, कार्यपालिका नियमावली 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करते है –

कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ :–

    1. यह नियमावली कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।
    2. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
    3. यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. कार्यपालिका नियमावली (1979) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों के कमांक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाते है :–

विभागों की सूची

"1. मंत्रिमडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(संसदीय कार्य विभाग एवं राजभाषा विभाग सहित)
2. गृह विभाग (कारा सहित)
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
4. वित्त (वाणिज्य–कर एवं राष्ट्रीय बचत सहित) विभाग
5. योजना एवं विकास विभाग – पूर्व में निर्दिष्ट कार्यो की विषय सूची के अलावे मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के कार्यो की विषय सूची का कमांक–28 "प्रोग्राम इंपलिमेंटेशन विंग (परियोजना संगठन सहित), योजना एवं विकास विभाग में शामिल किया जाता है।
6. ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायती राज, विधायक/पार्षद योजना कोष तथा कोशी कांति योजना सहित)
7. नगर विकास विभाग
8. कल्याण विभाग
9. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
10. चिकित्सा शिक्षा एवं देशी चिकित्सा विभाग
11. मानव संसाधन विकास विभाग
12. विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग
13. उद्योग विभाग
14. गन्ना विकास विभाग
15. खान एवं भूतत्व विभाग

16. पर्यावरण एवं वन विभाग
17. कृषि विभाग
18. सहकारिता विभाग
19. पशु एवं मत्स्य पालन विभाग
20. उर्जा विभाग
21. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)
22. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
23. पथ निर्माण विभाग
24. परिवहन विभाग
25. सूचना एवं जन–संपर्क विभाग
26. पर्यटन विभाग
27. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
28. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
29. आपदा प्रबंधन विभाग
30. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
31. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग
32. विधि विभाग
33. भवन निर्माण एवं आवास विभाग
34. सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
35. सिविल विमानन विभाग
36. अल्प संख्यक कल्याण विभाग
37. निबंधन विभाग
38. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
39. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग – मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के कार्यो की विषय सूची का कमांक–(24) संसद निर्वाचन (25) राज्य विधान मंडल निर्वाचन (26) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (ई) तथा 333 के अधीन विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्यों का मनोनयन के विषय मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग में शामिल किया जाता है।
40. मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग" – मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के कार्यो की विषय सूची का कमांक–23 में निर्दिष्ट "निगरानी" का कार्य मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग में शामिल किया जाता है।

3. कार्यपालिका नियमावली 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची के कमांक– 13 उद्योग विभाग तथा कमांक– 14 गन्ना विकास विभाग की विषय सूची कमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :–

कमांक– 13 <u>उद्योग विभाग के कार्यो की विषय सूची निम्नलिखित होगी :–</u>

"1. औद्योगिक नीति का निर्धारण
2. उद्योग
3. उद्योग से संबंधित शोध एवं समन्वय कार्य
4. सभी प्रकार के उद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थान के साथ संपर्क
5. औद्योगिक प्रांगण, औद्योगिक क्षेत्र तथा जिला उद्योग केन्द्र
6. औद्योगिक विकास प्राधिकार

7. कच्चा सामान की व्यवस्था, आपूर्ति एवं वितरण
8. लोहा एवं इस्पात
9. तकनीकी विकास निदेशालय
10. विहार राज्य औद्योगिक विकास निगम
11. विहार राज्य वित्तीय निगम
12. बिहार राज्य रासायनिक एवं भेषजीय (फर्मास्यूटिकल्स) निगम
13. बिहार राज्य एलोक्ट्रोनिक्स निगम
14. बिहार राज्य साख एवं निवेश निगम.
15. बिहार औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्शदाता संगठन लि0 (बिटको)
16. उपेन्द्र महारथी औद्योगिक शिल्प संस्थान
17. विहार राज्य लघु उद्योग निगम
18. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
19. विहार हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
20. बिहार राज्य हस्तकरघा, विद्युत करघा तथा हस्तशिल्प निगम
21. बिहार राज्य निर्यात निगम
22. विहार राज्य वस्त्र निगम
23. विहार राज्य फिल्प विकास एवं वित्त निगम
24. बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम
25. बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर लि0
26. राज्य के बाहर औद्योगिक सम्पर्क कार्यालय
27. राज्य के अन्दर तथा बाहर औद्योगिक विक्रय केन्द्र
28. उद्योग विभाग के भवनों तथा सम्पत्तियों का प्रशासनिक प्रभार
29. उद्योग विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारीयों का नियंत्रण

क्रमांक– 14 <u>गन्ना विकास विभाग के कार्यों की विषय सूची निम्नलिखित होगी :–</u>

1. ईख अनुसंधान और विकास
2. ईख सहकारिता
3. ईख आपूर्ति, खरीद एवं वितरण का विनियमन
4. ईख सेस एवं ईख कमीशन का निर्धारण
5. चीनी कारखानों पर नियंत्रण
6. विहार राज्य चीनी निगम का नियंत्रण
7. चीनी एवं खांडसारी उद्योगों से संबंधित अन्य कार्य
8. ईख विभाग में नियोजित सभी-पदाधिकारीयों का नियंत्रण
9. ईख विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अखिलेश्वर प्रसाद गिरि)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– मं0मं0–01/आर–64/2005.......141.......दिनांक.......25/11/06

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 1000 प्रतियॉ इस विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(अखिलेश्वर प्रसाद गिरि)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– मं0मं0–01/आर–64/2005.......141.......दिनांक.......25/11/06

प्रतिलिपि :– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/सभी मंत्रीगण/सभी राज्यमंत्री गण/सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश्वर प्रसाद गिरि)
सरकार के विशेष सचिव